न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4069–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–8–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद जिला झाबुआ, प्रकरण कमांक 77/अपील/2013–14.

शांतिलाल पिता भेराजी मूलेवा (सिरवी)
निवासी पटेलावद जिला झाबुआ म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

शंकरलाल पिता भेराजी मूलेवा (सिरवी)
निवासी पटेलावद जिला झाबुआ म0प्र0
फूलीबाई बेवा भेराजी मूलेवा (सिरवी)
निवासी पटेलावद जिला झाबुआ म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–8–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा उनके एवं अनावेदक कमांक 1 के नाम शामलात में स्थित कृषि भूमि कस्बा पेटलावद प0ह0नम्बर 569 कुल खसरा नम्बर 9 रकबा 4–40 हेक्टेयर भू–राजस्व रुपये 22.51 पैसे पर से आपसी पारिवारिक बटवारे के आधार पर अनावेदक का नाम कम कराने हेतु आवेदन दिया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 30–6–2005 को आदेश पारित किया जाकर आवेदन पत्र स्वीकार किया आपसी बटवारे के आधार पर अनावेदक शंकरलाल पिता भेरा का नाम कम करने की स्वीकृति दी गई । प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक शांतिलाल एवं अनावेदक कमांक 2 फूलबाई के नाम यथावत् कायम रखे गये । तहसील न्यायालय के आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में दिनांक 5–8–15 को अंतरिम आदेश पारित कर अपील समय सीमा में मान्य की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 5 में दिये गये प्रावधानों की अनदेखी कर अपील समय सीमा में मान्य करने में वैधानिक भूल की गई है क्योंकि विलम्ब क्षमा किये जाने का कोई समुचित कारण नहीं दर्शाये गये है उसके बावजूद भी धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया तथा उक्त आदेश की जानकारी होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं उन दस्तावेजों और आधारों की अनदेखी कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । आवेदक द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधनिक एवं परिसीमा के प्रावधानों की अनुकूल नहीं होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण में अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय को पारिवारिक बटवारे के आधार पर अनावेदक का नाम कम करने से पूर्व अनावेदक शंकरलाल को नोटिस जारी कर समक्ष में बुलाना चाहिये था, मात्र आवेदक के आवेदन पर अनावेदक कमांक 1 का नाम कम करना उचित कार्यवाही नहीं ठहरायी जा सकती है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 अपील समय सीमा में मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–8–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर